(ख) इस मंत्रालय के दिनांक 23-12-91 के पत्र सं० 8-153/91-एफ० सी० के द्वारा राज्य सरकार से क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही वनेतर भूमि का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र के उत्तर में, राज्य सरकार ने दिनांक 8.1.93 के अपने पत्र के द्वारा अवक्रामित वन क्षेत्र से दुगुने योग में क्षतिपूरक वनरोपण करने की एक स्कीम भेजी है ।

(ग) सारी अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है और राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य सलाहकार दल, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल थे द्वारा 4-3-93 को विचार-विमर्श किया गया ।

(घ) 28-2-93 की स्थिति के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वन भूमि दिए जाने के मध्य प्रदेश सरकार के 13 प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं । उपर्युक्त प्रस्तावों में से 12 प्रस्ताव 20 है० तक वन भूमि दिये जाने से संबंधित हैं, जिनकी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा जांच/निर्णय किया जाना है और 1 प्रस्ताव 20 है० से अधिक वन भूमि देने का है, जिसके लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल से स्थल निरीक्षण करने को कहा गया है ।

Concept of conservation of Forests

3580. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that women are more inclined towards the concept of conservation of forests;

(b) whether it is also a fact that Van Panchayats manned by women in the Himalayan region have proved more successful than other Panchayats in the conservation of forests;

(c) if so, whether Government propose to issue necessary guidelines to encourage women's participation in this matter; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) It is generally so believed as women have to bear the brunt of hardships caused by deforestation.

(b) No specific study has been conducted by the Government in this regard.

(c) and (d) The National Forest Policy, 1988 envisages involvement of women in achieving its various objectives. Further, in response to the guidelines issued by the Government of India in June 1990 on people's involvement in the development and protection of forests, several State Governments have issued resolutions enlisting, among other things, active participation of women in planning, decision making and implementation of the above programmes.

रणथम्भौर बाघ परियोजना

3581. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों और अन्य जंगली जानवरों का शिकार किया गया है;

(ख) इस क्षेत्र में कितने बाघों और अन्य जंगली जानवरों का शिकार किया गया और उनका ब्यौरा क्या है

(ग) क्या इन वन्य जीवों की खाल बेचने वाले किसी गिरोह को पकड़ा गया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने किसी वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी से इसकी जांच करायी है; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) रणथम्भौर बाघ रिजर्व में चोरी-छिपे शिकार करने के कुछ प्रमाण मिले हैं किन्तु उनकी वास्तविक संख्या अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जांच के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) 1992 की गणना को उस समय विद्यमान अड़चनों के कारण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । लगातार निगरानी करके तथा वन कर्मचारियों और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से की गई गणना से ही बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकता है ।

(2) चोरी छिपे शिकार के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनकी संख्या पुलिस जांच पूर्ण होने के बाद ही उपलब्ध होगी ।

(3) इसमें किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है अपितु प्रशासनिक ढांचे तथा क्षेत्र में विद्यमान प्रणाली को मुख्यतः दोषी माना गया है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ जल प्रदूषण

3582. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जल प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं और किन-किन स्थानों पर जल प्रदूषण फैल रहा है; और

(ग) सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अशोधित मलजल तथा औद्योगिक बहिस्रावों के बहाव से उत्पन्न जल प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के शहरों में सतही जल की गुणवत्ता का स्तर निर्धारित मानकों से कम हो गया है । इन बहिस्रावों में अभी भी वृद्धि हो रही है ।

(ग) जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं ।

(2) उद्योगों के स्थान-निर्धारण तथा संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ।

(3) उद्योगों को कहा गया है कि बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अंदर रखने के लिए वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें ।

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों के पालन के लिए प्रदूषक उद्योगों के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।